न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 88/2021

प्रार्थी

01. भंवरलाल पुत्र पुखाराम
02. गंगाराम पुत्र लक्ष्मणराम
03. रमेशचन्द्र पुत्र शिवलाल जातियान— लौहार निवासीयान गुडाचुतरा तहसील सोजत, जिला— पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण

01. इन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंह
02. किशनकंवर पत्नी घीसूसिंह
03. नााायणसिह दतक पुत्र डुंगरसिंह
04. पूरणसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
05. भगवानसिंह पुत्र घीसुसिंह
06. मुन्ना कंवर पुत्री घीसुसिह जातियान राजपूत निवासीयान— गुड़ाचुतरा तहसील सोजत
07. माणकचंद पुत्र शिवलाल
08. नारायण पुत्र गिरधारी
09. पारसमल पुत्र लक्ष्मणराम जातियान लौहार निवासीयान— गुड़ा चुतरा तहसील सोजत जिला पाली।
10. तहसीलदार भूमिधारक सोजत तहसील सोजत, जिला— पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री सोहनलाल बोराणा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
02. श्री तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 15/11/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ाचुतरा तहसील सोजत में स्थित पुराने खसरा नंबर 116 रकबा पौने सवा बीघा तीन बिस्वा की भूमि पुखा, लक्ष्मण पीसरान हुकमाराम प्रार्थीगण के पिता एवं दादा के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भुमि आई हुई है। जिनका नाम सैटलमेंट के पूर्व बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज रहा है। उक्त भुमि के नए खसरा नंबर 279 रकबा 1.1800 हैक्टर किस्म बारानी अवल बने है। उपरोक्त वाददग्रस्त भूमि सेटलमेंट के पूर्व प्रार्थीगण के पिता एवं दादा के नाम की पुराने खसरा नंबर 116 रही है तथा प्रार्थीगण के पिता एंव दादा के जीवनकाल में उनका तथा उनके देहान्त के बाद आज दिन क प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 07 से 09 का शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक एवं बाधा के निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवर्ष उक्त भूमि सावणु फसल की बुवाई लटाई व अवेरारई करते रहे है, लेकिन सेवन से राजस्व अधिकारियों ने उक्त भूमि माधोसिंह पुत्र बलवंतसिंह, भैरूसिंह, डूंगरसिंह पीसरान पाबुदानसिंह के नाम की विधि विरूद्ध ढंग से खातेदारी में उक्त वादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर दिया है। पाबुसिंह के देहांत के बाद अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के नाम राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध ढंग से इद्राज हो गया। जबकि अप्रार्थीगण सख्या 01 से 06 व उनके पूर्वजों का उक्त भूमि पर आज दिन तक किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही वर्तमान में कोई कब्जा काश्त है। प्रार्थी गंगाराम के पिता लक्ष्मणराम वार्डपंच थे, जो हिन्दी पढना लिखना जानते थे। भुरकंवर पनी डुंगसिंह का देहान्त हो गया है तथा नारायणसिंह भुरकंवर का वारिस है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 तथा

के पूर्वजों का नाम का विधि विरूद्ध ढंग से खातेदारी में नाम इन्द्राज होने से दिनांक 25.05.2021 को उक्त प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त कब्जा काश्तसुदा भूमि में खडाई करने की नियत से ट्रेक्टर लेकर आए तथा खडाई करने की कुचैष्ठा की, तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि में नाजायज कब्जा करने की नियत से खडाई कने से मना किया व अप्रार्थीगण ने एलानियां धमकियां दी कि हमारा नाम खातेदारी में विधि विरूद्ध ढंग से इन्द्राज होने के बावजूद भी हम उक्त भूमि पर कब्जा कर देंगे व बेचान हस्तांतरण कर देंगे। प्रार्थीगण की उक्त पुश्तैनी कब्जा काश्त सुदा खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण नाजायज कब्जा कर बेचान हस्तांन्तरण कर देंगे तो प्रार्थीगण को रूपयों में न आंकी जा सकने वाली अपूर्णिय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा गुडाचुतरा में स्थित पुराने खसरा नंबर 116 रकबा पौने सात बीघा तीन बिस्वा जिसके नए खसरा नंबर 279 रकबा 1.1800 हैक्टर की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कोई दखलअंदाजी करने तथा बेचान हस्तानांतरण इत्यादि करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 से 9 के विरूद्ध दिनांक 04.04.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 04 व 10 जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना चाहने से जबाब प्रार्थना पत्र दिनांक 08.11.2022 को जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से , 5 व 6 ने दिनांक 28.07.2022 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि खसरा नंबर 279 रकबा 1.1800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल प्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी की हो बल्कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 व भूरकंवर पत्नी डुंगरसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा भूमि है। जिस पर अप्रार्थीगण बिना बाधा एवं अड़चन के काबिज काश्त है व उपयोग उपभोग अपने पूर्वजो के समय से कर रहे है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि उक्त कृषि जोत की भूमि पुखा, नारायण पिसरान हुकमाराम प्रार्थीगण के पिता एवं दादा के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की हो। उक्त कृषि जोत की भूमि पर कभी भी किसी भी दिनांक को प्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीगण के दादा के खातेदारी कब्जा काश्त की नहीं रही है, आज दिन तक कब्जा काश्त एवं खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की खातेदारी व कब्जा काश्त की है। सैटलमेट से पूर्व खसरा 116 प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी की रही हो व कब्जा काश्त भी रहा हो। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि राजस्व अधिकारियों ने सेव से उक्त वादग्रस्त भूमि माधोसिंह पुत्र बलवंतसिंह, भैरूसिंह, डूंगरसिंह पिसरान पाबुदानसिंह के नाम विधि विरूद्ध खातेदारी की दर्ज कर दी है तथा उनके देहान्त के बाद अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया हो। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा नही रहा हो बल्कि आज दिन तक बिना बाधा एवं अड़चन के कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के पूर्वजों के नाम विधि विरूद्ध ढंग से खातेदारी में इन्द्राज होने से दिनांक 25.05.2021 को प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर खडाई करने की चैष्टा की हो, जब अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की खातेदारी कब्जा सुदा स्वामित्व की भूमि है तो उसमें अप्रार्थीगण की खडाई, बुवाई, निदाण, अवाई, अपने पूर्वजों के समय से बिना बाधा एवं अड़चन के करते आ हे है। अप्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण को दखल अंदाजी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा व काश्त वादग्रस्त भूमि पर कभी नहीं रहा है न वर्तमान में है। जब कब्जा प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर है ही नहीं तो एडर्स पजेशन

उपखण्ड अधिकारी

...कुल कब्जा के आधार पर प्रार्थीगण खातेदारी अधिका प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण किसी खातेदार के रूिद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कने के अधिकारी नहीं है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि वादस्थ भूमि पुखा, लक्ष्मण पीसरान हुकमाराम प्रार्थीगण के पिता एवं दादा के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भुमि आई हुई है। जिनका नाम सैटलमेंट के पूर्व बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज रहा है। उक्त भुमि के नए खसरा नंबर 279 रकबा 1.1800 हैक्टर किस्म बारानी अवल बने है। उपरोक्त वाददग्रस्त भूमि सेटलमेंट के पूर्व प्रार्थीगण के पिता एवं दादा के नाम की पुराने खसरा नंबर 116 रही है तथा प्रार्थीगण के पिता एंव दादा के जीवनकाल में उनका तथा उनके देहान्त के बाद आज दिन क प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 07 से 09 का शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक एवं बाधा के निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवर्ष उक्त भूमि सावणु फसल की बुवाई लटाई व अवेरारई करते रहे है, लेकिन सेवन से राजस्व अधिकारियों ने उक्त भूमि माधोसिंह पुत्र बलवंतसिंह, भैरूसिंह, डूंगरसिंह पीसरान पाबुदानसिंह के नाम की विधि विरूद्ध ढंग से खातेदारी में उक्त वादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर दिया है। पाबुसिंह के देहांत के बाद अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के नाम राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध ढंग से इद्राज हो गया। जबकि अप्रार्थीगण सख्या 01 से 06 व उनके पूर्वजों का उक्त भूमि पर आज दिन तक किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही वर्तमान में कोई कब्जा काश्त है। उक्त इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि का बैचान करने पर उतारू है। जिन्है जरिये अस्थाई रोका जाना अति आवश्यक है। जबाब बह समे अधिवक्ता अप्रार्थी ने जाहिर किया कि खसरा नंबर 279 रकबा 1.1800 हैक्टर किस्म बारानी अव्ल प्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी की हो बल्कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 व भूरकंवर पत्नी डुंगरसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा भूमि है। जिस पर अप्रार्थीगण बिना बाधा एवं अड़चन के काबिज काश्त है व उपयोग उपभोग अपने पूर्वजो के समय से कर रहे है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तु प्रार्थना मय शपथ पंत्र तथा फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकार दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा। अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज सुदा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाना उचित प्रतित नही होता है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 15/11/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)